



मुख्यालय, कर्मचारी राज्य बीमा निगम
Headquarters, Employees' State Insurance Corporation
पंचदीप भवन, सी.आई.जी. मार्ग, नई दिल्ली-110002
Panchdeep Bhawan, CIG Road, New Delhi-110002
www.esic.nic.in

संख्या : ई-11/18/1/2014-जनसंपर्क

दिनांक : 22.04.2014

परिपत्र


विषय : क.रा.बी. निगम द्वारा विज्ञापन एजेंसियों के नामिकायन के विस्तार के संबंध में।

इस कार्यालय के परिपत्र संख्या ई-11/18/1/2010-जन संपर्क, दिनांक 26.04.2011 के क्रम में सूचित किया जाता है कि विद्यमान 07 नामिकायित विज्ञापन एजेंसियों के नामिकायन की अवधि को दिनांक 18.04.2014 से 17.10.2014 तक छह माह के लिए या नए नामिकायन की प्रक्रिया पूरी होने तक, जो भी पहले हो, विस्तारित कर दिया गया है।

इन विज्ञापन एजेंसियों के नाम निम्न प्रकार हैं :-

मेसर्स कॉन्सेप्ट कम्यूनिकेशन लि., प्लॉट सं.-264, तीसरा तल, ओखला इंडस्ट्रियल एरिया, फेज-III, नई दिल्ली-110020	मेसर्स क्रैयोन्स एडवर्टाइजिंग लि., एन.एस.आई.सी. कॉम्प्लेक्स, मॉ आनंदमई मार्ग, ओखला इंडस्ट्रियल इस्टेट-III, नई दिल्ली-110020	मेसर्स गोल्डमाइन एडवर्टाइजिंग लि., मिलाप निकेतन, बहादुरशाह जफर मार्ग, नई दिल्ली-110002
मेसर्स इंटर पब्लिसिटी प्रा.लि., 702, मोहन देव भवन, 13, टॉल्सटॉय मार्ग, नई दिल्ली-110001	मेसर्स प्रभातम् एडवर्टाइजिंग प्रा. लि., 38, रानी झांसी रोड, नई दिल्ली-110055	मेसर्स आर.के. स्वामी, बी.बी.डी.ओ. प्रा.लि., 1ई/1, झंडेवाला एक्स्टेंशन, नई दिल्ली-110055
मेसर्स स्पैन कम्यूनिकेशंस, बी-174, ईस्ट ऑफ कैलाश, नई दिल्ली-110065		

इसे महानिदेशक के अनुमोदन तथा वित्त आयुक्त की सहमति से जारी किया जाता है।


(आर.के. गौतम)
संयुक्त निदेशक(जनसंपर्क)

प्रति :-

1. वित्त आयुक्त/मुख्य सतर्कता आयुक्त/बीमा आयुक्त(का. एवं प्रशा.)/बीमा आयुक्त(जनसंपर्क)/अपर आयुक्त(वित्त) के निजी सचिव को सूचनार्थ।
2. संयुक्त निदेशक(वित्त)/संयुक्त निदेशक(सा. एवं स्था.-5)/उप निदेशक(वित्त-III)/उप निदेशक(रोकड़) को सूचनार्थ।
3. सभी क्षेत्रीय निदेशक/प्रभारी निदेशक/प्रभारी संयुक्त निदेशक, क्षेत्रीय/उप क्षेत्रीय कार्यालय/प्रभागीय कार्यालय।
4. सभी चिकित्सा अधीक्षक, क.रा.बी. निगम अस्पताल।
5. वरिष्ठ राज्य चिकित्सा आयुक्त/राज्य चिकित्सा आयुक्त, क.रा.बी. निगम।
6. निदेशक(चिकित्सा) दिल्ली/निदेशक(चिकित्सा) नोएडा/निदेशक(चिकित्सा) चेन्नै।
7. सभी संकाय अध्यक्ष, क.रा.बी. निगम चिकित्सा संस्थान।
8. वित्त एवं लेखा शाखा-3/रोकड़ शाखा, मुख्यालय को सूचनार्थ।
9. वेबसाइट सामग्री प्रबंधक को इस अनुरोध के साथ कि इस परिपत्र को क.रा.बी. निगम की वेबसाइट पर अपलोड करें।

वेबसाइट की विषय-सूची का प्रबंधन.....
Website Contents Management.....
जायरी सं./Diary No. 338.....
दिनांक / Date 23/04/2014.....